HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14893/2026
CNR: RJHC020921202026 | URN: CRLMB / 27428U / 2026

Bhairuram Yadav S/o Late Manglaram, Aged About 53 Years, R/o Charanwas, Sitarampura, Tehsil Chomu, District Jaipur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur, District Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Special Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nitin Bhandari
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **सी.पी.एस. जयपुर ए.सी.बी. जिला–जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **187/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7–ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 61 (2) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त एक निजी व्यक्ति (Private Person) है। उस पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने पटवार हल्का अलीसर में जो भूमि क्रय की थी, उसका नामान्तरण खुलवाने पटवारी के पास गया तो प्रार्थी–अभियुक्त भैंरू ने पटवारी के नाम पर उससे एक लाख रूपये की रिश्वत मांगी। उनका तर्क है कि परिवादी द्वारा जो जमीन क्रय किया जाना और उसका नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी के पास जाना बताया है, वह भूमि वास्तव में

प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा ही उसे बेची गई थी। वह दिनांक **2.7.2026** से निरन्तर अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने हल्का पटवारी अलीसर जिला–चौमू के पटवारी से नामान्तरण खुलवाने के नाम पर एक लाख रूपये की रिश्वत मांगी तथा उसे रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए रंगे–हाथों पकड़ा गया है। उनका तर्क है कि परिवादी व प्रार्थी–अभियुक्त के मध्य हुई वार्तालाप का लिप्यांतरण (Transcript) भी पत्रावली पर मौजूद है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आक्षेप कि उसने परिवादी द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्रण खुलवाने के लिए पटवारी के नाम पर एक लाख रूपये की रिश्वत मांगी। परिवादी द्वारा जिस जमीन को क्रय कर उसका नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी के पास जाना बताया है, वह भूमि प्रार्थी–अभियुक्त व उसके परिवार वालों (आचुकी, गुलाब, धापा देवी, भगवती, संतोष व रूडी देवी) द्वारा परिवादी सुनील कुमार व अन्य व्यक्ति अनिल कुमार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र बेचा जाना प्रकट हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त एक निजी व्यक्ति (Private Person) है तथा वह दिनांक **2.7.2026** से निरन्तर अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

30/JITENDRA SINGH PANWAR